संख्याः– 191/11–5–2010–218 (13)/2010

प्रेषक,

मधु माथुर,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ :
दिनांकः 13 अप्रैल, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग एक के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी0–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए संस्थागत वित्त विभाग स्टाम्प एवं पंजीकरण के अनुदान सं0–91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा– 2030 – (पंजीकरण) मुख्यालय एंव जिला व्यय हेतु मतदेय मत में रू0 47,54,95,000.00(रूपये सैतालीस करोड़ चौव्वन लाख पन्चानबे हजार मात्र) तथा भारित मद में रू0 2000.00(रूपये दो हजार मात्र) तथा 800–अन्य व्यय, 03–अवशेषों का भुगतान,01–वेतन के अन्तर्गत रू0 4,00,00,000.00(रूपये चार करोड. मात्र) एंव राजस्व लेखा–2059–के अन्तर्गत रू0 50,00,000.00(रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशी, जिसका वितरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया जा रहा है, निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उपरोक्तानुसार धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का अवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकरण नहीं देता है जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैन्युअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–सी0ए0 1132/दस–2004–मित–1/2004 दिनांक 07.01.2005 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.03.2010 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,
ह0अस्पष्ट
मधु माथुर
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(मधु माथुर)
उप सचिव।